



अतः एस.बी.सिविल अवमानना याचिका सं. 1937/17 अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9532/2017 भानी सहाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने आदेश दिनांक 18.07.17 की पालना में याचिकाकर्ता श्री भानी सहाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष जो उक्त निर्णय से कवर्ड होने के कारण विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए नियमित नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975-1720, 1200-2050/4000-6000 एवं 1640-2900/5500-9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है। याचिकाकर्ता को दिनांक 11.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है एवं नियम विरुद्ध अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधीन होगी।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर  
दिनांक : 28/2/18

क्रमांक: एफ.1513 सीसी/स्वाकापु/2018/480

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
2. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनु।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय जयपुर।
5. श्री भानी सहाय पुत्र श्री सागरमल निवासी ग्राम सिंधाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनु को द्वारा रजिस्टर्ड पत्र।
6. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर